मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन नं. 0755–2554539, 2554549 वेबसाईट –
www.mpsbb.nic.in ईमेल आई.डी. mpsbb@mp.gov.in

सूचना

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 85 दिनांक 15.02.2022 अनुसार अमरकंटक मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के वन विभाग के स्वामित्व वाले 7681.50 हैक्टेयर क्षेत्र को जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 अंतर्गत जैवविविधता विरासत स्थल के रूप घोषित किया गया है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर (राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में), राज्य सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये, आक्षेप या सुझाव सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, प्रथम तल, 26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011 या ईमेल पता mpsbb@mp.gov.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

सदस्य सचिव

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2022—माघ 26, शक 1943

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्र. एफ. 16—02/2021/10—2 — सूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उप—धारा (1) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप—नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से, जारी किया जाना प्रस्तावित करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है, कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको यह सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराई जाएं, साठ दिनों की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप सूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, राज्य सरकार को विचार किए जाने के लिए, लिखित में, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26 किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011, ईमेल पता mpsbb@mp.gov.in को डाक के माध्यम से कर सकेगा और ब्यौरे, यदि कोई हों, उपरोक्त पते पर सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से प्राप्त किए जा सकेंगे:—

प्रारूप सूचना

यतः, अमरकंटक भारत में, मध्यप्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में 22.67ºN 81.75ºE पर अवस्थित है।

और यतः, 7681.50 हैक्टेयर क्षेत्रफल का प्रस्तावित स्थल वन मंडल, अनूपपुर, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व के अधीन है।

और यतः, प्रस्तावित स्थल मैकल पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है जो औसत समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊपर विन्ध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है।

और यतः, यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पारिस्थितकीय तंत्र है एवं यह दुर्लभ पारिस्थितिक क्षेत्र है जो वानिकी जैवविविधता, कृषि जैवविविधता एवं सांस्कृतिक जैवविविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

और यतः, अमरकंटक पारिस्थितकीय तंत्र, भारत की जल सुरक्षा में योगदान देने वाली तीन प्रमुख नदियों का उद्‌गम स्थल है, जिसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

और यतः, जैवविविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों एवं सीमाओं को जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है।

अनुसूची

अनुक्रमांक	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल
1.	आर एफ-211	207.08
2.	आर एफ -212	308.29
3.	आर एफ -213	234.03
4.	आर एफ -214	302.50
5.	आर एफ -223	404.08
6.	आर एफ -213	359.40
7.	आर एफ -225	403.98
8.	आर एफ -226	399.84
9.	आर एफ -227	298.93
10.	आर एफ -228	414.19
11.	आर एफ -229	290.70
12.	आर एफ -230	252.08
13.	आर एफ -237	319.54
14.	आर एफ -238	355.05
15.	आर एफ -239	315.04
16.	आर एफ -240	239.94
17.	आर एफ -241	228.15
18.	पी एफ-218	3.69
19.	पी एफ -219	14.09
20.	पी एफ -220	189.85
21.	पी एफ -221	20.97
22.	पी एफ -222	66.89
23.	पी एफ -231	162.48
24.	पी एफ -232	206.73
25.	पी एफ -232	150.24
26.	पी एफ -234	49.25
27.	पी एफ -235	238.66
28.	पी एफ -236	336.33
29.	पी एफ -242	30.37
30.	पी एफ -243	31.52
31.	पी एफ -244	18.56
32.	पी एफ -248	25.87
33.	पी एफ -206	98.07
34.	पी एफ -207	14.66
35.	पी एफ -208	258.38
36.	पी एफ -209	189.07
37.	पी एफ -210	243.00
	कुल योग=	7681.50

(कुल 37) कुल क्षेत्रफल 7681.50 हैक्टेयर

क. प्रस्तावित स्थल	– 7681.50 हैक्टेयर
ख उप परिक्षेत्र	– अमरकंटक एवं भुण्डाकोना
ग. परिक्षेत्र	– अमरकंटक
घ. उप वनमण्डल	– राजेन्द्रग्राम
ङ. वन मण्डल	– अनूपपुर

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, वन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित उपक्रम करेगाः–

1. जैवविविधता विरासत स्थल की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. जैवविविधता को संरक्षित करने के लिए वन विभाग के अग्रिम कर्मचारिवृंद, पारिस्थितिकीय पर्यटन कार्यक्रम, वनवासियों, एवं आदिवासियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना।
3. अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के लिए प्रजातियों का संवर्धन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्र. एफ 16–02–2021–दस–2 .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–02–2021–दस–2, दिनांक 15 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 15th February 2022

F. No 16-02/2021/10-2 - The following draft of the notice which the State Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and sub-rule (1) of rule 22 of Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, in consultation with Madhya Pradesh State Biodiversity Board, is hereby published for the information of the public likely to be affected there by; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notice may do so, in writing, for consideration of the State Government within the period so specified, through post to the Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board, 26, Kisan Bhawan, 1st floor, Arera hills, Bhopal 462011, Email Id- mpsbb@mp.gov.in. Further details, if any, may be obtained from the Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board on the above address, namely:-

DRAFT OF NOTICE

WHEREAS, Amarkantak is situated in Anuppur district of the state of Madhya Pradesh in India at 22.67°N 81.75°E.

AND WHEREAS, the proposed site has an area of 7681.50 ha under the ownership of forest division Anuppur, Forest Department, Government of Madhya Pradesh.

AND WHEREAS, proposed site is situated on the Maikal mountain range which links the Vindhyachal and Satpura mountain ranges, at about 1067 meters above mean sea level.

AND WHEREAS, The area is an important ecosystem and it is rare ecological area which is important with the view of forest Biodiversity, Agro Biodiversity and Cultural Diversity.

AND WHEREAS, Amarkantak ecological system is the origin of three major rivers which contributes to water security of India, which need to be conserved.

AND WHEREAS, in view of Biodiversity and environmental conservation, the areas and boundaries mentioned in the schedule is declared as Biodiversity Heritage Site.

SCHEDULE

S.no.	Compartment No.	Area
1.	RF-211	207.08
2.	RF-212	308.29
3.	RF-213	234.03
4.	RF-214	302.50
5.	RF-223	404.08
6.	RF-213	359.40
7.	RF-225	403.98
8.	RF-226	399.84
9.	RF-227	298.93
10.	RF-228	414.19
11.	RF-229	290.70
12.	RF-230	252.08
13.	RF-237	319.54
14.	RF-238	355.05
15.	RF-239	315.04
16.	RF-240	239.94
17.	RF-241	228.15
18.	PF-218	3.69
19.	PF-219	14.09
20.	PF-220	189.85
21.	PF-221	20.97
22.	PF-222	66.89
23.	PF-231	162.48
24.	PF-232	206.73
25.	PF-232	150.24
26.	PF-234	49.25
27.	PF-235	238.66
28.	PF-236	336.33
29.	PF-242	30.37
30.	PF-243	31.52
31.	PF-244	18.56
32.	PF-248	25.87
33.	PF-206	98.07
34.	PF-207	14.66
35.	PF-208	258.38
36.	PF-209	189.07
37.	PF-210	243.00
	Total =	**7681.50**

(Total 37) Total area - 7681.50 ha

A. Proposed Site	- 7681.50 ha
B. Sub Range	- Amarkantak & Bhundakona
C. Range	- Amarkantak
D. Forest Sub Division	- Rajendragram
E. Forest Division	- Anuppur

The M.P. State Biodiversity Board shall undertake the following in collaboration with Forest Department: -

4. Prepare Management Plan for conservation of the natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site area.
5. Undertake capacity building programme(s) for front line staff of Forest Department, Eco-tourism Programme, Forest Dwellers and Tribals to conserve biodiversity.
6. Propagation of species for In-situ and Ex-situ conservation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.